बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि0, पटना
(वित्त विभाग का उपक्रम)

संoसंo-बिoराoशिoविoनिo(स्थाo)-08/2018 की खंड संचिका-63-596(कोo), दिनांक-05.12.2018

आदेश

बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक के आप्त सचिव के एकल स्वीकृत पद के विरुद्ध बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवा निवृत्त आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव का संविदा पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 12.11.2018 तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे । आवेदन आमंत्रित करने की निर्धारित अंतिम तिथि 12.11.2018 को समाचार पत्रों में पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 20.11.2018 तक विस्तारित किया गया । प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध निर्धारित अंतिम तिथि 20.11.2018 तक कुल 04 आवेदन प्राप्त हुए जिसकी सूची निम्नवत् है:-

क्र०	आवेदक का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवा निवृत्ति के समय पदनाम	विभाग का नाम जहाँ से सेवा निवृत्त हुये हैं
1	श्री सुनील कुमार वर्मा	16.08.1958	आई०एस०सी०	31.08.2018	प्रधान आप्त सचिव	वित्त विभाग
2	श्री अनिल कुमार केसरी	20.01.1956	बी०कॉम०	31.01.2016	प्रधान आप्त सचिव	पंचायती राज विभाग
3	श्री द्वारिका प्रसाद	02.01.1958	स्नातक	31.01.2018	प्रधान आप्त सचिव	लघु जल संसाधन विभाग
4	श्री बैजनाथ प्रसाद गुप्ता	05.01.1956	स्नातक	31.01.2016	आप्त सचिव	वित्त विभाग

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री अशोक कुमार, प्रमिला सदन, हरनीचक, न्यू पाईपास, अनिसाबाद, पटना से स्पीड पोस्ट के माध्यम से संविदा पर नियोजन हेतु आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि 20.11.2018 के उपरान्त 29.11.2018 को कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिस पर विचार नहीं किया गया ।

आप्त सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु निर्धारित अंतिम 20.11.2018 तक प्राप्त सभी 04 आवेदनों से संबंधित आवेदकों को दिनांक 03.12.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु पत्र स्पीड-पोस्ट के माध्यम से भेजा गया तथा उन्हें दूरभाष से भी सूचित किया गया । साक्षात्कार में उपस्थित कुल 03 (तीन) आवेदकों के साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 03.12.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया जिसके आधार पर निम्न प्रकार से अंक प्रदान किये गये :-

क्र०	आवेदक का नाम	साक्षात्कार के लिए निर्धारित पूर्णांक	आवेदक द्वारा प्राप्तांक
1	श्री सुनील कुमार वर्मा	100	65
2	श्री अनिल कुमार केसरी		56
3	श्री द्वारिका प्रसाद		51
4	श्री बैजनाथ प्रसाद गुप्ता		अनुपस्थित

साक्षात्कार समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त कर्मियों/पदाधिकारियों के आरोप की स्थिति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त कर उपरोक्त प्राप्तांक के आधार पर नियोजन की कारवाई की जाय ।

साक्षात्कार समिति उपरोक्त निर्णय के आलोक में अवर सचिव, वित्त विभाग से श्री सुनील कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग के स्वच्छता प्रमाण-पत्र/आरोप

पत्र की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने हेतु निगम के पत्रांक-60 दिनांक 06.12.2018 के द्वारा मांग की गई । अवर सचिव, वित्त विभाग, वित्त विभाग के द्वारा पत्रांक-8811 दिनांक 04.12.2018 में संलग्न कर सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-9530 दिनांक 18.07.2018 भेजा गया, जिसमें अंकित है कि श्री सुनील कुमार वर्मा, प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभाग के स्तर पर कोई आरोप/विभागीय कार्यवाही प्रतिवेदित/लंबित नहीं है ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में **श्री सुनील कुमार वर्मा,** सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 03.12.2018 को आयोजित साक्षात्कार में सर्वाधिक प्राप्तांक के आधार पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, पटना के आप्त सचिव के पद पर संविदा पर योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से आप्त सचिव की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त होने तक, निम्नांकित शर्तो के आधार पर नियोजित किया जाता है :-

1. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी ।

2. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

3. उक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगी ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000 दि० 10.07.2015 की कंडिका-3(6)(i) के अनुरुप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा । कंडिका- 3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण होने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा । मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी ।

5. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका-3(6)(ii) के अंतर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा ।

6. ईन्हें सेवानिवृत आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी ।

7. इन सेवानिवृत आप्त सचिव/प्रधान आप्त सचिव को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा ।

5/12/2018

(जयन्त कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक- बि०रा०शि०वि०नि०(स्था०)-08/2018 की खंड संचिका-63-......(को०), पटना, दिनांक 05.12.2018

प्रतिलिपिः- श्री सुनील कुमार वर्मा, पिता- स्व० ज्वाला प्रसाद वर्मा, 503, 'A' ब्लॉक, राम दयाल इन्कलेव, आर० के० पूरम, दानापुर खगौल रोड, पो०-दानापुर कैन्ट, जिला- पटना, पिन-801503 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित । उन्हें निदेश दिया जाता है कि दिनांक 12.12.2018 के पूर्वाह्न 10:30 बजे बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लि०, सचिवालय एनेक्सी ब्लॉक-3, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय कैम्पस, पटना-800015 में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें । निर्धारित तिथि को योगदान नहीं देने पर आपके नियोजन का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक